(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>अधिसूचना सं0 29 (आर.ई.- 2010)/2009-2014</u>
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011

विषयः-<u>प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य</u> ।

सां0आ0(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, अधिसूचना सं0 24 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 18.02.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है । यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. अधिसूचना सं0 24 (आर ई-2010)/2009-2014, दिनांक 18.02.2011 के कॉलम 'क्रम सं0 44.01 के मद्दे प्रतिबंध का स्वरुप' में आने वाले वाक्यांश ''प्रति मीट्रिक टन 600 अमरीकी डॉलर का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित'' को वाक्यांश ''पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 450 अमेरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम के अलावा प्याजों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य 450 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन होगा । पहले यह 600 अमरीकी डॉलर प्रति टन था ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं0 01/91/180/922/एएम 08/पीसी-3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)